

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 91/2024

उनवान

1. मैसर्स श्री राधे गोविन्दम रेजीडेन्सी प्रा0लि0 ऑफिस 20 बादल टैक्सटाईल मार्केट पुर रोड, भीलवाड़ा जरिये जायरेक्टर अनुप तोषणीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश तोषणीवाल आयु वयस्क

—प्रार्थी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र श्री लालू बलाई नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. हेमा पुत्र श्री सेवा रेगर नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. भैरू लाल पुत्र श्री हीरा लाल भांबी नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. मांगी लाल पुत्र श्री उरजन रेगर नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
5. देवी पुत्र श्री गोकल बलाई नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
6. हर्ष प्रदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह राणावत नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 15-07-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प्रथम पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 2020 की आराजी नम्बर 1531 रकबा 0.3288 हैक्टर, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प्रथम पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 2020 की आराजी नम्बर 1531 रकबा 0.3288 हैक्टर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)